मु. नं. 112/2020 रामस्वरूप / मानू व अन्य

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/9/21	व.फ. उप० तलब हेतु समय चाहते है। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से तलब करें। पत्रावली वास्ते कैस कुरेजात दिनांक 15/9/21 को पेश हो। [signature]	
	15/9/21	व. फ. उप० कुरेजात (तनराज) सा पत्र पेश करने वास्ते अन्तिम समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश करने कुरेजात तनराज सा. पत्र दिनांक 06/10/21 को पेश हो। [signature]	
	06/10/21	प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर होने से आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 16/12/21 पत्रावली पत्र आवश्यक रूप से पेश हो। [signature]	
	16/12/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम गोविन्दगढ़ में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 2 मय अधि० उप०। वादीगण बावजूद सूचना अनुप० हैं और न ही अभी तक कोई कुरेजात आपत्ति का प्रा० पत्र पेश किया गया है। जिसे बाबत वादीगण को पर्याप्त अवसर भी दिये जा चुके हैं। प्रकरण में कुरेजात रिपोर्ट पर सुना गया। प्रतिवादी सं. 2 ने मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। कुरेजात रिपोर्ट वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। मिसल [signature]	16/12/21 identified Sanjay [signature] 16.12-21

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय– रामस्वरूप बनाम नानू व अन्य

केस सं0– 112/2020

वाद

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रुप से	वि0वि0
	निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया किया। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बरान से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–112 / 2020
उनवान–रामस्वरुप बनाम नानू वगै0
निर्णय दिनांक:–16.12.2021

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान, ग्राम गोविन्दगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :–112 / 2020

उनवान

1. रामस्वरुप पुत्र रामचन्द्र, उम्र 48 वर्ष
2. सीताराम पुत्र रामचन्द्र, उम्र 45 वर्ष
3. घीसी देवी पुत्री रामचन्द्र, उम्र 50 वर्ष

समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. नानू पुत्र हनुमान, उम्र 70 वर्ष, जाति खटीक, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. गंगू पुत्र हनुमान, उम्र 70 वर्ष, जाति खटीक, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर (राज0)।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–16.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत कैम्प ग्राम गोविन्दगढ़ में पेश हुई। प्रतिवादी सं0 2 स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं0 2 को सुना गया। प्रतिवादी सं0 2 ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 25.02.2021 के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के [illegible] रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के [illegible] बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। [illegible] दिनांक 25.02.2021 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता [illegible] जी खसरा नं0 521 / 1 रकबा 0.70 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.70 है[illegible]र भूमि, वाके

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—112/2020
उनवान—रामस्वरुप बनाम नानू वगै0
निर्णय दिनांकः—16.12.2021

ग्राम गोविन्दगढ़, पटवार हल्का गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः—

1. रामस्वरुप, सीताराम पुत्र रामचन्द्र, घीसी देवी पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/3 बहिस्सा बराबर, जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 521/1/1 रकबा 0.1269 है0, खसरा नम्बर 521/1/6 रकबा 0.1065 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2334 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
2. गंगू पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 521/1/2 रकबा 0.1096 है0, खसरा नम्बर 521/1/4 रकबा 0.1237 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2333 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
3. नानू पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 521/1/3 रकबा 0.1053 है0, खसरा नम्बर 521/1/5 रकबा 0.1280 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2333 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिकी जारी हो। नजरी नक्शा डिकी व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम गोविन्दगढ़ में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0—112/2020
उनवान—रामस्वरुप बनाम नानू वगै0
निर्णय दिनांकः—16.12.2021

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान, ग्राम गोविन्दगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

उनवान

1. रामस्वरुप पुत्र रामचन्द्र, उम्र 48 वर्ष
2. सीताराम पुत्र रामचन्द्र, उम्र 45 वर्ष
3. घीसी देवी पुत्री रामचन्द्र, उम्र 50 वर्ष

समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण—

बनाम

1. नानू पुत्र हनुमान, उम्र 70 वर्ष, जाति खटीक, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. गंगू पुत्र हनुमान, उम्र 70 वर्ष, जाति खटीक, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर (राज0)।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर :—112/2020

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी प्रतिवादी सं0 2 मय अधिवक्ता मिनजामिन मुददई रूबरू श्री हर्षित वर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 521/1 रकबा 0.70 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम गोविन्दगढ़, पटवार हल्का गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 25.02.2021 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:—

1. रामस्वरुप, सीताराम पुत्र रामचन्द्र, घीसी देवी पुत्री रामचन्द्र [illegible] 1/3 हिस्सा बराबर, जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 521/1/1 रकबा 0.1269 है0, खसरा नम्बर 521/1/6 रकबा 0.1065 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2334 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—112 / 2020
उनवान—रामस्वरुप बनाम नानू वगै0
निर्णय दिनांकः—16.12.2021

2. गंगू पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 521/1/2 रकबा 0.1096 है0, खसरा नम्बर 521/1/4 रकबा 0.1237 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2333 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
3. नानू पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 521/1/3 रकबा 0.1053 है0, खसरा नम्बर 521/1/5 रकबा 0.1280 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2333 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 16.12.2021 को जारी किया गया।

मोहर **दस्तखत** ....

ओहदा.......... सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 0	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	2	जोड़	1

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:33:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)